

25th 10/2024 फावली पेश हुई। वज्रत आर्षी उक्त वकील
आर्षी बहस हेतु जमान-गद्दीत हे वरद को प्रका
वैय जाकर प्रिदात दिनांक 02/12/24 के पेश हो

02/12/24 पत्रवली आज पेश हुई। वकील आर्षी उपस्थित। वकील आर्षी की
बहस सुनी गयी। वकील आर्षी बहस एवं पत्रवली में
उपलब्ध उस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निवेद्याज्ञा के तीनों
खिद प्रथम दुहया मामला, सुविद्या का संतुल्य एवं अपूर्णीत
आर्षी के पत्र में सिट होते हैं। अतः आर्षी का आर्षी-पत्र
स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में
दिनांक 19.04.2024 को जारी अस्थायी निवेद्याज्ञा को मूल वाद
के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रवली फैसल नुमा
होकर इर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील राखित इकर है।
निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे राय लिखा
जाकर सरे- इजलास सुनाया गया।



02/12/24
सहायक कल
बाप (फलोदी)